कार्यालय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग–उज्जैन

''स्कूल शिक्षा विभाग''

EMAIL ID :- jddpiujj-mp@nic.in

Office Tel. No. :- 0734 - 2524054

Mobile no. :- 09425195758

---

1. **शिक्षकों की नियुक्ति** :– विगत् लम्बे समय से प्राथमिक स्तर से लेकर हायर सेकेण्डरी स्तर तक विद्यालयों में, षिक्षकों की कमी को लक्ष्य किया जा रहा था। स्कूल षिक्षा विभाग, म.प्र. शासन के द्वारा निर्धारित दिषा–निर्देषों के पालन में उज्जैन संभाग में, संविदा शाला षिक्षक वर्ग–1, 2 व 3 में नियुक्तियॉ की गई जो इस प्रकार हैः–

	वर्ग	नियुक्त	प्रतिशत
1.	संविदा शाला षिक्षक वर्ग–1	230	87.12
2.	संविदा शाला षिक्षक वर्ग–2	1763	84.11
3.	संविदा शाला षिक्षक वर्ग–3	2270	94.82

इस प्रकार प्राप्त लक्ष्य के विरूद्ध **89.67 प्रतिशत** षिक्षकों की पूर्ति की गई !

2. **साईकिल वितरण** :– कक्षा 9वीं में अध्ययनरत् छात्राऐं, मध्य में अपनी पढ़ाई न छोड़कर सतत् रूप से अध्ययनरत् रहें, इस हेतु शासन द्वारा अपने निवास स्थान से 5 कि.मी. की दूरी वाली शालाओं में पढ़ रही छात्राओं को निःषुल्क साईकिल प्रदान करने की योजनान्तर्गत संभाग में विभिन्न वर्गों की छात्राओं को निम्नानुसार साईकिलें प्रदान की गई :–

	वर्ग	साईकिल प्रदाय
1.	अ0जा0	1465
2.	अ0ज0जा0	530
3.	पिछड़ा वर्ग, सामान्य (गरीबी रेखा के नीचे वाली छात्राऐं)	3565

3. **शैक्षणिक गुणवत्ता** :— प्रदेष में शैक्षिक गुणवत्ता के लिये न केवल विभाग वरन्, शासन स्तर से भी चिंता व्यक्त की जा रही थी। विषेषकर कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणामों में सुधार के लिये, प्राप्त दिषा—निर्देषों के क्रम में संभाग स्तर पर निम्नानुसार प्रयास किये गये:—

1. **सीधी बात कार्यक्रम का आयोजनः—** आयुक्त, लोक षिक्षण द्वारा शैक्षणिक गुणवत्ता हेतु प्राचार्यों से सीधी बात दिनांक 11—11—06 को उज्जैन में की गई।
2. **मोबाईल शिक्षक दलों का गठनः—** विषय षिक्षक अभाव वाली संस्था में अध्यापन हेतु सभी जिलों में मोबाईल दलों का गठन किया गया।
3. **बाह्य मूल्यांकन दलों का गठनः—** सेवानिवृत्त प्राचार्य /अधिकारी द्वारा विद्यालयों में जाकर शैक्षणिक गुणवत्ता हेतु चर्चा/सुझाव देने हेतु दल सभी जिलों में गठित किये गए। उनके प्रतिवेदन पर कार्रवाई की गई।
4. **सभी जिलों में एक साथ निरीक्षण अभियानः—** तीन चक्रों में संभाग के हर जिले में सभी विद्यालयों में एक ही दिन एक साथ निरीक्षण करवाया जाकर अनियमित कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई।
5. **गत्वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले प्राचार्यों/शिक्षकों का सम्मानः—** प्रमाण—पत्र सहित सभा—सम्मान किया गया — इसमें लगभग उज्जैन संभाग के सभी जिलों के 2440 षिक्षक सम्मानित हुए।

4. **संभागीय शिक्षक कल्याण शिविर** :— संभागान्तर्गत षिक्षकों के लम्बित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये पहले जिला स्तरीय एवं पश्चात् दिनांक 21.01.2007 को संभाग स्तरीय षिक्षक कल्याण षिविर का आयोजन किया जाकर निराकरण किये गये प्रकरणों की स्थिति इस प्रकार है:—
158 में से **141** प्रकरणों का निराकरण किया गया। **17** प्रकरण निराकरण हेतु संचालनालय को प्रस्तुत किये गये।

5. समेकित षिक्षाः— विकलांग बच्चों की समेकित षिक्षा वर्ष 2006—07 में उज्जैन संभाग में 9455 का लक्ष्य था । लक्ष्य के विरूद्ध 8649 बच्चों को राषि रूपये 8724900/— वितरित की गई।

कार्यालय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग–उज्जैन

''सर्व शिक्षा अभियान''

<u>शिक्षा की सर्वव्यापी पहुँचः–</u> सर्व शिक्षा अभियान योजना में शिक्षा की सर्वव्यापी पहॅुच हेतु जिले में प्रत्येक **1 किलोमीटर** पर प्राथमिक विद्यालय तथा **3 किलोमीटर** में माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवायी जाना है एवं प्राथमिक शालाओं का उन्नयन माध्यमिक शालाओं में किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत संभाग उज्जैन में माध्यमिक विघालयों की संख्या 2455 है।

<u>शिक्षा गांरटी शालाः–</u> ऐसी बसाहटों में जहाँ प्राथमिक शाला की सुविधा उपलब्ध नही थी वहाँ शिक्षा गांरटी शाला योजनान्तर्गत 811 शिक्षा गांरटी शाला के माध्यम से प्रांरभिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाई हैं। शिक्षा गारंटी शालाओं को वर्ष 2007–08 में प्राथमिक विद्यालय में उन्नयन किया जावेगा एवं संभाग में **6221** शासकीय प्राथमिक विद्यालय संचालित है।

<u>आकस्मिक निधियाँः–</u> शालाओं के विकास एवं भौतिक संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु संभाग की (शिक्षा गांरटी शाला, प्राथमिक एवं माध्यमिक) शालाओं को 2000.00 प्रति शाला के मान से शाला आकस्मिक निधि उपलब्ध करवाई जाती है।

<u>शिक्षक निधिः–</u> प्रांरभिक शिक्षा को रूचीकर बनाने के उद्देश्य से शिक्षक निधि प्रति शिक्षक 500.00 रूपये के मान से सहायक शिक्षण सामग्री के निर्माण हेतु संभाग के समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं मे कार्यरत शिक्षकों को वितरित की जाती है।

<u>मरम्मत एवं रखरखावः–</u> शासकीय प्राथमिक, शिक्षा गांरटी शाला एवं माध्यमिक शालाओं को मरम्मत एवं रखरखाव निधि के रूप में 3 कक्ष से कम वाली शालाओं को राशि रू. 4000.00 प्रति शाला के मान से एवं 3 कक्ष से अधिक कक्ष वाली शालाओं को प्रति शाला 7500.00 के मान से राशि जारी की जाती है।

<u>निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरणः–</u> मध्य प्रदेश शासन द्वारा कक्षा 1 से 5 तक समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक योजनान्तर्गत तथा 6 से 8 तक अजा/अजजा के छात्रों, पिछडा एवं सामान्य वर्ग के गरीबी की से नीचे जीवन यापन करने वाले पालकों के बच्चों एंव समस्त बालिकाओं को निःशुल्क पुस्तकें प्रदान की जाती है। छात्रों को निःषुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण **पालक शिक्षक संध** के माध्यम से किया जाता हैं।

<u>निर्माण कार्यः–</u> प्रांरभिक शिक्षा के सुदृणीकरण अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान की कार्ययोजना में स्वीकृत अनुसार निर्माण कार्य पर व्यय किये जाने का प्रावधान है। इसके माध्यम से संभाग में प्राथमिक/माध्यमिक/शिक्षा गांरटी शालाओं मे अधोसंरचनात्मक विकास जैसे–शाला भवन, अतिरिक्त कक्ष, शौचालय, पेयजल सुविधा, किचन शेड इत्यादी सुविधायें उपलब्ध करवाई जाती है।

हेडस्टार्ट केन्द्रः– कम्प्यूटर शिक्षा के माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षित करने हेतु संभाग के 345 जन शिक्षा केन्द्र, माध्यमिक विद्यालयों को हेडस्टार्ट केन्द्रों के रूप में चयन किया गया है। इन सभी केन्द्रों को कम्प्यूटर संस्थापना हेतु तैयार कर लिया गया है। समस्त हेडस्टार्ट जन शिक्षा केन्द्रों के समस्त बच्चों को कम्प्यूटर के माध्यम से शिक्षित किया जा कर बच्चों की शिक्षा में गुणात्मक सुधार का कार्य किया जा रहा है।

NPEGEL (बालिका शिक्षा):– बालिकाओं की प्रारंभिक स्तर तक की शिक्षा के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रदेश मे बालिका शिक्षा प्रोत्साहित करने के लिये भारत सरकार ने National Programme of Education for Girls At Elementary Level के नाम से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के ऐसे विकासखण्डों का चयन किया जाना हैं, जहाँ महिला एवं पुरूष साक्षरता दर में अन्तर राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं तथा ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत (46.7 प्रतिशत) से कम हैं। जहाँ अनुसूचित जाति, जन जाति की महिला साक्षरता दर 10 प्रतिशत से कम हैं।

निःशुल्क गणवेश का वितरणः– NPEGEL योजनान्तर्गत कक्षा 01 से 08 तक दर्ज बालिकाओं को प्रति बालिका 90.00 के मान से सीधे शाला शिक्षा कोष, पालक–शिक्षक संघ के माध्यम से गणवेश का वितरण किया जाता है।

आवासीय एवं गैर आवासीय ब्रिज कोर्सः– शाला त्यागी/अप्रवेशी बालक बालिकायें जो शिक्षा की मुख्य धारा से अलग हो गये है। उन्हे शिक्षा की मुख्य धारा मे सम्मिलित करने हेतु उनके मानसिक स्तर ऊँचा करने हेतु आवासीय एवं गैर आवासीय ब्रिज कोर्स संचालित किये जाते है। इसके अन्तर्गत अप्रवेशी एवं शाला त्यागी बच्चों को 09 माह ब्रिज कोर्स में अध्ययन कराया जाकर शिक्षा मुख्य धारा में लाया जाता है।

कस्तुरबा गॉधी बालिका विद्यालयः– सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत उज्जैन संभाग में वर्ष 2006–07 में 06 कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय प्रारंभ करने का लक्ष्य था। लक्ष्य के विरूद्ध 08 कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय प्रारंभ किये गये, जिनमें 401 बालिकाऐं दर्ज है। कस्तुरबा गॉधी बालिका विद्यालय में भवन निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। इसमें कक्षा 05 वीं पश्चात शाला त्यागी छात्राओं को प्राथमिकता पर दर्ज कर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाकर शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल किया जाता है।

शिशु शिक्षा केन्द्रः– शिशु शिक्षा केन्द्र उन बालिकाओं के लिये संचालित किया जाता है वे बालिकायें अपने छोटे भाई–बहनों को संभालने के कारण शाला में नही जा पाती है। ऐसी बालिकाओं के छोटे–भाई बहनो को शिशु शिक्षा में दर्ज कर बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा मे जोडा जा सकें।

बालिका छात्रावासः– उज्जैन संभाग में वर्ष 2006–07 में 28 बालिका छात्रावास प्रारंभ करने का लक्ष्य था। लक्ष्य के विरूद्ध 29 बालिका छात्रावास प्रारंभ किये गयें, जिनमें 1199 बालिकाऐं दर्ज है। शाला त्यागी बालिकाओं हेतु आवासीय बालिका छात्रावास प्रारंभ किये जाते है। जिसमे अध्ययनरत बालिकाओं को आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती है। इसमें कक्षा 05 वीं व इसके आगे की कक्षा की छात्राओं को रखे जाने का प्रावधान है।

मॉडल क्लस्टर शालाः– प्रांरभिक एवं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संभाग की कन्या माध्यमिक शालाओं को आर्दश रूप में प्रस्तुत कर उन शालाओं की छात्राओं को अधिक सुविधायें उपलब्ध करवाने के दृष्टिकोण से जिले में मॉडल क्लस्टर शालाओं का विकास किया गया है। मॉडल क्लस्टर शालाओं में आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों जैसे– मीना केम्पेन, मॉ बेटी मेला, आदि गतिविधियॉ आयोजित की जाती है।

शिक्षा घरः– ऐसे परिवार जो एक बसाहट/ग्राम से दुसरे ग्राम/बसाहटों में पलायन कर जाते हैं। या खाना बदहोश परिवारों के बच्चों की शिक्षा हेतु शिक्षा घरों (मौसमी छात्रावास) का संचालन किया जाना है। शिक्षा घरो में बच्चो हेतु भोजन, रहवास की व्यवस्था की जावेगी। शिक्षा घरों की अवधी 02 से 04 माह तक हो सकती है। वे बालक/बालिकायें जो 05 से 14 वर्ष आयु समूह के है उन्हे इन शिक्षा घरों में दर्ज कराया जाकर शिक्षा की मुख्य धारा मे शामिल किया जावेगा।

मानव विकास केन्द्रः– संभाग के शहरी क्षेत्र के कामकाजी और शिक्षा से वंचित बच्चों के लिये वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2005–06 मे 25 स्वीकृत मानव विकास केन्द्र उज्जैन संभाग में संचालित थे। मानव विकास केन्द्रों की स्थापना के पूर्व शहरी क्षेत्र के कामकाजी बच्चों एवं शिक्षा से वंचित बच्चों को प्रांरभिक शिक्षा की मुख्य धारा में जोडने हेतु की जाती है। वर्ष 2006–07 में संभाग में 38 मानव विकास केन्द्र संचालित है।

प्रशिक्षणः–

01. **माईक्रोसॉफ्ट शिक्षक प्रशिक्षण :–** माईक्रोसॉफ्ट कम्पनी के प्रशिक्षित ट्रेनर द्वारा 12 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण (संभाग स्तरीय) दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण जिला शिक्षा केन्द्र उज्जैन में आयोजित हो रहा है। इसमें उज्जैन संभाग के 06 जिलें के चयनित 20 प्रतिभागी प्रति प्रशिक्षण में सम्मिलित होते है। 26 मार्च 07 तक 437 शिक्षक प्रशिक्षित हो चुके है।
02. **इंडक्शन प्रशिक्षण :–** नव नियुक्त संविदा शिक्षक वर्ग 1, 2 व 3 के लिये राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देशानुसार दो चरणों में 30 दिवस का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
03. **सेवाकालिन शिक्षक प्रशिक्षणः–** संभाग की समस्त प्राथमिक माध्यमिक शालाओं में कार्यरत शिक्षकों को प्रतिवर्ष 20 दिवस का रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण प्रतिवर्ष मई–जून माह में सम्पन्न होता है।

डी.पी.सी. रैंकिगः–

क्र0	जिले का नाम	विगत चार माह की रैंकिंग			
		नवंबर' 06	दिसम्बर' 06	जनवरी' 07	फरवरी' 07
1	उज्जैन	41	40	35	25
2	शाजापुर	18	20	28	17
3	रतलाम	34	34	33	13
4	मंदसौर	6	6	16	7
5	नीमच	11	7	7	8
6	देवास	10	35	26	39